न्यायालय सहायक कलक्टर बाप, जिला–जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री महावीर सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. देवराज पुत्र गोपाराम		1. राणाराम पुत्र माधोराम
2. जसराज पुत्र गोपाराम		2. खेताराम पुत्र माधोराम
3. महेश पुत्र गोपाराम		3. भंवरी पुत्री माधोराम
4. छोटा देवी पत्नि गोपाराम		4. गुड्डी पुत्री माधोराम
5. कौशल्या पुत्री गोपाराम		5. सोनाराम पुत्र गोमाराम
जाति सुथार निवासी सादा		6 नखताराम पुत्र गोमाराम
तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर		7 मांगीलाल पुत्र जोधाराम
		8 लूणाराम पुत्र जोधाराम
		9 रूपाराम पुत्र जोधाराम
		जाति सुथार निवासी सादा
		तहसील पोकरण जिला जैसलमेंर

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

कदमा नम्बर :– 140/2018

स्थित अधिवक्ता :–

1. प्रार्थी की ओर से श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी
2. अप्रार्थीगण गैर हाजिर

निर्णय

दिनांक :– 23.01.2020

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार निम्नानुसार है कि प्रार्थीगण ने र्थीगण के विरूद्व अदालत हाजा में एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 स्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। उक्त वाद के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रमाणित है और उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की –पूरी उम्मीद है।

प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 153 रकबा 53.00 खसरा नंबर 155 रकबा 6.06 बीघा कुल रकबा 59.06 बीघा भूमि सरहद मौजा कालूसिंह पटवार क्षेत्र टेकरा तहसील बाप में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/9 हिस्सा र्थीगण संख्या 1 ता 4 का 1/3 हिस्सा, अप्रार्थीगण संख्या 5 व 6 का 2/9 हिस्सा, र्थीगण संख्या 7 ता 9 का 1/3 हिस्सा बनता है। नकल जमाबंदी संवत 2073–2076 व ट्रैस संलग्न प्रार्थना पत्र पेश है।

अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादों मं सफल होने हेतु लागातार प्रयत्नशील है अगर ाण अपने नापाक इरादों में सफल हो जाते है तो प्राथीग्ण को अपने खातेदारी अधिकारों ाराधात होगा। जिसका मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता और न ही क्षतिपूर्ति ही । प्रार्थीगण गरीब एवं असहाय है तथा अप्राथीगण साधन संपन्न एवं प्रवाशाली व्यक्ति है मुकाबला करने में प्रार्थीगण असमर्थ है। इसलिये अप्राथीगण जरिये कानून रोका जाना श्यक है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व इस ी जारी की जावे की ग्राम कालूसिंह नगर पटवार क्षेत्र टेकरा के खसरा नंबर 153 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mehaveer Singh
Date: 2020.02.03 20:19:25 IST
Reason: SelfAttested
Location:

.00 बीघा, खसरा नंबर 155 रकबा 6.06 बीघा कुल रकबा 59.06 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के
स्से व प्रार्थीगण द्वारा तैयार की गई भूमि में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी
कार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 स्वंय करे और न ही किसी अन्य से
वें। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब
या गया। अप्रार्थीगण की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा अप्रार्थीण के विरूद्व एक
क्ष कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि
र्थीगण ने अप्रार्थीण के विरूद्व बंटवाडे हेतु दावा पेश किया है बहस में आगे बताया कि
र्थीगण उक्त भूमि के सहखातेदार होने के कारण भूमि का दुरूपयोग नहीं कर सकते है। अतः
थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के हिस्से व प्रार्थीगण द्वारा तैयार की गई भूमि में चले आ रहे
तिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 स्वंय
और न ही किसी अन्य से करावें एवं उक्त भूमि की मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति
ये रखने के आदेश फरमावे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के
नों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा तादावा फैसला प्रार्थी के पक्ष में
ये किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया
या। बहस पर मनन किया गया, बाद मनन एवं चिन्तन के पाया गया कि वादग्रस्त भूमि खसरा
र 153 रकबा 53.00 बीघा, खसरा नंबर 155 रकबा 6.06 बीघा कुल रकबा 59.06 बीघा ग्राम
लूसिंह नगर पटवार मण्डल टेकरा में स्थित है। उक्त भूमि का वर्तमान में विभाजन नहीं हो
है प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण की और से किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किये जाने से
ना पत्र में वर्णित तथ्य स्वतः स्वीकार योग्य है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं
रणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनने पाये जाते है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार
य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीगण के पक्ष
था अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की जारी की जाती है कि कालूसिंह नगर पटवार क्षेत्र
के खसरा नंबर 153 रकबा 53.00 बीघा, खसरा नंबर 155 रकबा 06.06 बीघा कुल रकबा
6 बीघा में प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के
रण तक बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 9 पाबंद रहेगे। पत्रावाली फैसल शुमार
नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 28.01.2020 को सुनाया गया।

(महावीर सिंह)
सहायक कलक्टर
बाप (जोधपुर)